झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1333 वर्ष 2017

कृष्णा कोइरी .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, राँची
3. जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री अशोक कु0 पाण्डेय अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– एस0सी0–I के ए0सी0

7/08.02.2019 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

. इस रिट आवेदन में याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थियों को जनवरी, 1971 से मार्च, 1973 की अवधि के लिए उपार्जित वेतन के अंतर के भुगतान के लिए निर्देश देने के लिए प्रार्थना की है।

याची के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उसे पूर्वोक्त अवधि के लिए वेतन के अंतर का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके लिए उसने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में काम किया था।

मैंने याचिका का अध्ययन किया है। पूरे अभिवचन में कोई फुसफुसाहट नहीं है कि याचिकाकर्ता का वेतन क्या था और वेतन का अंतर क्या है जो उसे भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावास मुझे पता चला है कि यह रिट याचिका वाद हेतुक उत्पन्न होने की तारीख से 45 वर्षों के बाद दायर की गई है।

इस प्रकार, विलंब और देरी के आधार पर और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभिवचन बिल्कुल अस्पष्ट है, मैं इस रिट आवेदन को सुनने का इच्छुक नहीं हूँ। तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)